रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 1995/कार्तिक 4, 1917

No. 601] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 1995/KARTIKA 4, 1917

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1995

का.आ. 857 (अ) :—पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र) जिसे सामान्यतः पी.एल.ए. के रूप में जाना जाता है, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रिपक कहा गया है) और उसकी "रैड आर्मी" तथा प्रिपक के उपदलों, जैसे कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सशस्त्र विंग, जो "रेड आर्मी" भी कहलाता है और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट तथा कांगलेई यावल कांबा लूप (जिन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से मैतेयी उग्रवादी संगठन कहा गया है) :—

(i) ने मणिपुर राज्य को मिलाकर एक स्वतंत्र मणिपुर के गठन के अपने उद्देश्य की खुलकर घोषणा की है और "भारत के संघ" से उक्त राज्य के अध्यर्पण करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में हिंसात्मक क्रियाकलापों का आश्रय लिया है ;

(ii) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बलों, अर्थात् तथाकथित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, रेड आर्मी, उनके सदस्यों और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को नियोजित कर रहे हैं ;

(iii) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य को अग्रसर करने में उक्त सुरक्षा बलों और सिविल सरकार और मणिपुर राज्य के नागरिकों पर आक्रमण करने के लिए उक्त सशस्त्र बलों और सदस्यों को नियोजित कर रहे हैं और अपने संगठनों के लिए निधि एकत्र करने के लिए सिविलियन जनसंख्या के विरुद्ध लूट और अभित्रास के कार्यों में लगे रहे हैं ;

(iv) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए शस्त्र और प्रशिक्षण के द्वारा सहायता पाने के लिए विदेशों से अपने संपर्क बनाने के प्रयास कर रहे हैं ;

2. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से मैतेयी उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा गठित अन्य निकाय, जिसमें उपरोक्त नामित सशस्त्र समूह सम्मिलित हैं, विधि विरुद्ध संगम हैं ;

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैतेयी उग्रवादी संगठन, अर्थात् पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक और उसकी रेड आर्मी, तथा प्रिपक के उपदलों जैसे कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सशस्त्र विंग जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है और उनके द्वारा स्थापित अन्य निकायों को और यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट और कांगलेई यावल कांबा लूप को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करती है ।

4. और,

(i) मैतेयी उग्रवादी संगठनों के सशस्त्र समूहों और सदस्यों द्वारा सुरक्षा बलों और सिविलियन जनसंख्या पर हिंसा और आक्रमण के कार्य बारबार जारी रहे हैं और चलते रहे हैं ;

(ii) मैतेयी उग्रवादी संगठनों की शक्ति में वृद्धि होती रही है ;

(iii) निधियों का संग्रहण/उद्दापन और परिष्कृत आयुधों का अर्जन ,

(iv) पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण शिविरों का स्थापित किया जाना ।

5. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैतेयी उग्रवादी संगठनों के पूर्वोक्त क्रिया-कलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर है, और यदि उक्त मैतेयी उग्रवादी संगठनों को तुरन्त रोका और नियन्त्रित नहीं किया जाता है तो वे पुनः एकत्र होंगे और स्वयं को पुनः सशस्त्र करेंगे, अपने काडरों का विस्तार करेंगे, परिष्कृत आयुधों को प्राप्त करेंगे, सिविलियनों और सुरक्षा बलों के प्राणों की भारी हानिकारित करेंगे और भारत के संघ से मणिपुर के अध्यर्पण के उद्देश्य से अपने क्रिया-कलापों को त्वरित करेंगे ।

6. पैरा 4 और पैरा 5 में निर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह राय है कि यह आवश्यक है कि मैतेयी उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक, कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सशस्त्र विंग, जो "रेड आर्मी" कहलाता है यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट और कांगलेई यावल कांबा लूप को तत्कालिन प्रभाव से विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया जाए, और तदनुसार केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना का, ऐसे किसी आदेश के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

[फा.सं. 8/17/95-एन ई आई]
बी.एन. झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1995

S.O. 857(E).—Whereas the People's Liberation Army (Eastern Region), generally known as the PLA, the People's Revolutionary Party of Kangleipak (hereinafter referred to as PREPAK) and its 'Red Army' as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the 'Red Army' and the United National Liberation Front (UNLF) and Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations)—

(i) have openly declared as their objective the formation of an independent Manipur comprising the State of Manipur and have resorted to violent activities in pursuance of their objective to bring about cession of the said State from the 'Union of India';

(ii) have been employing armed forces, namely, the so-called People's Liberation Army, the Red Army, their members and the other bodies set up by them, to achieve their aforesaid objective;

(iii) have in furtherance of their aforesaid objective been employing the said armed forces and or members in attacking the Security Forces and the Civil Government and the citizens in the State of Manipur, and indulging in acts of looting and intimidation against the civilian population for collection of funds for their organisations;

(iv) have been making efforts to resume their contacts with foreign countries for securing assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their aforesaid objective;

2. And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations namely the People's Liberation Army (Eastern Region), People's Revolutionary Party of Kangleipak and its Red Army as also offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party and its armed wing also called the Red Army and other bodies set up by them and the United National Liberation Front and Kanglei Yaol Kanba Lup to be unlawful associations.

4. And whereas:—

(i) there have been repeated continuing and ongoing acts of violence and attacks by (Armed groups and members of Meitei Extremist Organisations on the Security Forces and on the Civilian population;

(ii) there has been increase in the strength of Meitei Extremist Organisations;

(iii) collection of funds|extortions and acquisition of sophisticated weapons;

(iv) setting up of training camps in the neighbouring countries;

5. And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immeidately curbed and controlled the said Meitei Extremist Organisations would re-group and re-arm themselves, expand its cadres; procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at cession of Manipur from the Union of India.

6. Having regard to the circumstances referred in paragraph 4 & 5 Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations namely Peoples Liberation Army (PLA), People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP) and their armed wing called as "Red Army", United National Liberation Front (UNLF), and Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) as unlawful associations with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3 the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 8|17|95-NEI]

B. N. JHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995